

पत्रांक- BMSIC/80010/25-2013/2920

प्रेषक,

पंकज कुमार
उपमहाप्रबंधक(परियोजना)

सेवा में,

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
मकान सं0-140, न्यु मार्केट,
कुलीपाडा, कटिहार,
पिन-854105।

विषय:- जिला कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय-सह-आवास भवन, किशनगंज का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने पर डिवार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्रांक- BMSIC/80010/25-2013/2195 दिनांक:-25.11.2015, पत्रांक- BMSIC/80010/25-2013/2640 दिनांक:-17.11.2016 एवं पर्यवेक्षण परामर्शी का ज्ञापांक- EDMAC/REC/BS-01/02/16 दिनांक:- 04.10.2016।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक- 16.08.2013 को निर्गत किया गया एवं इस कार्य हेतु दिनांक- 06.05.2014 को भूखण्ड भी उपलब्ध करा दिया गया। कार्यादेश के कडिका 5 के अनुसार भूखण्ड उपलब्धता की तिथि से कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 12 माह अर्थात् 05.05.2015 तक थी। परंतु 30 माह बीत जाने के पश्चात भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। विदित है कि कार्य पूर्ण करने के संबंध में प्रासंगिक पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से अनेकों बार निदेशित किया गया, फिर भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने की दिशा में कोई यथोचित दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का लाभ जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है।

अतः उपरोक्त विषयांकित कार्य में बरती गई लापरवाही के कारण आपको किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु डिवार किया जाता है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि एक माह के अंदर कार्य पूर्ण कराया जाए अन्यथा विषयांकित कार्य का एकरारनामा रद्द कर आपके सुरक्षित जमा राशि को जब्त करते हुए नियमानुसार अन्य कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

विश्वासभाजन


30/11/16

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक-01/12/16

ज्ञापांक- BMSIC/80010/25-2013/2920

प्रतिलिपि:- श्री आशीष कुमार सिंह, प्रबंधक (परियोजना), पूर्णियाँ प्रमंडल, BMSICL / EDMAC Engineering Consultant (India) Pvt. Ltd, G-1/L.G.F, South Extension-II, New Delhi-110049, India को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि संबंधित संवेदक से संपर्क स्थापित कर विषयांकित परियोजना एक माह के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।


30/11/16

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

(कृ०पृ०३०)

